

# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या- पी0आर0 ..... / 2020

+2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर/कम्प्यूटर कर्मी/कम्प्यूटर शिक्षक/कम्प्यूटर के जानकार शिक्षक की संख्या तथा उनका नाम सहित अन्य विवरण समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु शिक्षण संस्थान के प्रधान के लिए आवश्यक सूचना :

एतद् द्वारा +2 स्तर के सभी कोटि के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0) एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध कम्प्यूटर, यू0पी0एस0, प्रिंटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर/कम्प्यूटर के जानकार कर्मी/कम्प्यूटर शिक्षक/कम्प्यूटर के जानकार शिक्षक की संख्या, उनका नाम, पदनाम, मोबाईल नं0 एवं ई-मेल आई0डी0 समिति के वेबसाइट [biharboardonline.bihar.gov.in](http://biharboardonline.bihar.gov.in) पर निर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपलोड करने हेतु समिति की विज्ञप्ति संख्या पी0 आर0 198/2020 के द्वारा दिनांक 28.08.2020 से 10.09.2020 तक, पी0 आर0 215/2020 के द्वारा दिनांक 21.09.2020 तथा पी0 आर0 229/2020 के द्वारा दिनांक 04.10.2020 तक अवधि निर्धारित/विस्तारित की गयी थी।

2. समीक्षोपरान्त पाया गया है कि उक्त अवधि में +2 स्तर के कुल 3467 मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में से मात्र 980 शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा ही वांछित विवरण समिति के वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किया गया है। शेष 2487 शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा दिनांक 04.10.2020 तक विस्तारित तिथि तक वांछित सूचना ऑनलाइन अपलोड ही नहीं किया गया है। यह समिति के निदेशों की उल्लंघन करते हुए अति महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति जान-बूझकर शिथिलता बरते जाने का द्योतक है, जो अवांछनीय है। वर्णित स्थिति में विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 198/2020 एवं 215/2020 द्वारा संसूचित विहित प्रपत्र में वांछित सूचना ऑनलाइन अपलोड करने हेतु अंतिम रूप से दिनांक 15.10.2020 तक अवधि विस्तारित की जाती है।

3. +2 स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाले वैसे शिक्षण संस्थानों के प्रधान, जो समिति के वेबसाइट पर वांछित सूचना अभी तक अपलोड नहीं किये हैं, इसे गंभीरतापूर्वक लेकर वांछित विवरण समिति के वेबसाइट [biharboardonline.bihar.gov.in](http://biharboardonline.bihar.gov.in) पर विस्तारित तिथि 15.10.2020 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इसकी हार्ड कॉपी मुद्रित कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ दिनांक 17.10.2020 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्राप्त करा देंगे, ताकि समिति को यह उपलब्ध हो सके।

4. उक्त विस्तारित तिथि 15.10.2020 तक वांछित विवरण ऑनलाइन अपलोड नहीं करने तथा समिति के निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों के प्रधान के विरुद्ध अनुशासनिक एवं विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार से की जा सकती है। इसकी एक मात्र जबाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।

5. यदि किसी शिक्षण संस्थान में कम्प्यूटर, यू0पी0एस0, प्रिंटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर/कम्प्यूटर जानकार कर्मी/कम्प्यूटर शिक्षक/कम्प्यूटर के जानकार शिक्षक उपलब्ध नहीं हो, तो वैसी स्थिति में संबंधित संस्थान के प्रधान समिति के उक्त वेबसाइट के संबंधित कॉलम में NIL अंकित करेंगे।

6. विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 198/2020 एवं 215/2020 के शेष सभी निदेश यथावत् रहेंगे।

2180  
5.10.20

परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0)  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : BSEB(SS)/KEN/982/2020

पटना, दिनांक : 05/10/2020

- प्रतिलिपि : 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से शिक्षण संस्थान के प्रधान को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित करेंगे।
3. सभी नोडल पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. मुख्य निगरानी पदाधिकारी-सह-मुख्य नोडल पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. उप निदेशक, आईटी0/सिस्टम एनालिस्ट (उ0मा0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही यह भी निदेशित किया जाता है कि जिन शिक्षण संस्थान की मान्यता/संबद्धता रद्द है, उन संस्थानों से वांछित विवरणी कदापि नहीं अद्यतन/अपलोड किया जा सके। इसके लिए भी अनिवार्य रूप से व्यवस्था करना सुनिश्चित की जाय।
6. अध्यक्ष/सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक (मा0) को सूचनार्थ प्रेषित।

410  
5.10.20

परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

8/5/20  
05/10/2020